कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 68/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों हेतु एसोसिएट प्रोफेसर (नर्सिंग) एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0(नर्सिंग)/56/2018–19/241 दिनांक 01 मई, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों हेतु एसोसिएट प्रोफेसर (नर्सिंग) एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के क्रम में असिस्टेन्ट प्रोफेसर (नर्सिंग) की लिखित परीक्षा दिनांक 07 अगस्त 2021 (शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह् 01:00 बजे तक (एक पाली में) तथा एसोसिएट प्रोफेसर (नर्सिंग) की लिखित परीक्षा दिनांक 08 अगस्त 2021 (रविवार) को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह् 01:00 बजे तथा अपरान्ह् 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक (दो पालियों में) प्रदेश के देहरादून शहर में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 26 जुलाई 2021 से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट **www.ukmssb.org** से अपने पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड कर सकते है।

अभ्यथियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र औपबन्धिक है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नही कर सकता है। अतः परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अनिवार्य अर्हतायें, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 02 जून 2021) तक पूर्ण करता हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार/मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही अभ्यर्थियों को नियमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाये गये समस्त डाटा के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान बोर्ड के समक्ष उपलब्ध कराने होंगे। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी के चयन पर विचार किया जायेगा। किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

ह0
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।